परिशिष्ट – 10(ख)

वन विभाग

अनुभाग–2

अधिसूचना

22 जून 1978 ई०

संख्या 3559/चौदह–2–503–77–भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 29 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश में रेलवे के दोनों तरफ के सरकारी वन या बंजर भूमि की पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष लगे हों या नहीं, संरक्षित वन घोषित करते हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और धारा 68 के उपबन्ध लागू होंगे ।

अनुसूची

पट्टी का नाम	विवरण और स्थिति
रेलवे	प्रबन्ध के लिये वन विभाग को अन्तरित उत्तरी रेलवे के निम्नलिखित सेक्शन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि
	लखनऊ डिवीजन –
	1– लखनऊ– रायबरेली–प्रतापगढ़
	2–वाराणसी–मुगलसराय
हैदरगढ़ 977 से 1015	3– उतरेठिया–सुलतानपुर–जफराबाद
	4– उन्नाव–ऊँचाहार
	5– फैजाबाद–सुलतानपुर–फूँकगंज

आज्ञा से –

एन०पी० त्रिपाठी
सचिव

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

परिशिष्ट- 10(घ)

वन विभाग

अनुभाग-2

अधिसूचना

9 मई 1977 ई०

संख्या 104(2)/14-2-503-77 चूँकि सरकारी अधिसूचना संख्या 104/ चौदह-2-503-77 दिनाँक 9 मई 1977 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित उत्तर प्रदेश में रेलवे के दोनों ओर की सीमा स्तम्भों से सीमाँकित सरकारी बंजर भूमि की समस्त पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष लगे हों या नहीं, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अधीन संरक्षित वन घोषित किया गया है।

अतएव अब राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके -

(क) इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनाँक से उक्त भूमि पर लगे हुये समस्त वृक्षों को आरक्षित घोषित करते हैं और,

(ख) उक्त दिनाँक से ऐसे किसी वन में पत्थर की खुदाई करने, चूने या लकड़ी के कोयले को फूकने या ऐसे किसी वन में वन उपज का संग्रह करने या उस पर कोई विनिर्माण प्रक्रिया करने या उसे करने या उसे हटाने और भवन निर्माण या पशुओं के गोल रखने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी ऐसे वन में भूमि तोड़ने या साफ करने का प्रतिषेध करते हैं।

संख्या 104/चौदह-2-503/77 दिनाँक 9 मई 1977 भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 29 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे के दोनों तरफ के सरकारी वन या बंजर भूमि की पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष लगे हों या नहीं, संरक्षित वन घोषित करते हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और धारा 68 के उपबन्ध लागू होंगे -

अनुसूची

पट्टी का नाम	विवरण और स्थिति
	प्रबन्ध के लिये वन विभाग को अंतरित उत्तरी रेलवे के निम्नलिखित सेक्शन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि

लखनऊ डिवीजन -

1- रायबरेली-ऊँचाहार-फूफामऊ

2- उतरौठिया-फैजाबाद

3- कानपुर सैंट्रल-उन्नाव-लखनऊ

आज्ञा से -

एन०पी० त्रिपाठी

सचिव

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)